सत्रहवीं लोक सभा

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

परिचय

गठन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एक संसदीय समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से पन्द्रह लोक सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष उसके सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और समिति के साथ सहयोजित किये जाने के लिए राज्य सभा द्वारा सात सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाते हैं । समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से की जाती है। कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित होने का पात्र नहीं होता। यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाए, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहता। समिति का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक के समय के लिए नहीं होता है।

कार्य

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के कार्य इस प्रकार है:- (क) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम की चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखों की जांच करना; (ख) सरकारी उपक्रमों के विषय में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों की, यदि कोई हो, जांच करना; (ग) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्ता और कार्यकुशलता के संदर्भ में यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धान्तों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं; और (घ) चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के संबंध में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उपरोक्त खण्ड (क), (ख) और (ग) के अंतर्गत न आते हों और जो समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे जाएं।

समिति का कार्याकरण

समिति समय-समय पर जांच के लिए ऐसे सरकारी उपक्रमों या ऐसे विषयों जो उपयुक्त प्रतीत होते हों और संदर्भ की शर्तों के अनुरूप हों का चयन करती है। संबंधित मंत्रालय/उपक्रमों को समिति के सदस्यों को सूचनार्थ उन विषयों पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए कहा जाता है। समिति विभिन्न विषयों की विस्तृत जांच के

लिए एक या अधिक अध्ययन दलों का गठन करती है। यदि समिति को महसूस होता है कि जांच के उद्देश्य से मौके पर अध्ययन आवश्यक है तो समिति अध्यक्ष के विशिष्ट अनुमोदन के साथ, समिति किसी विशेष मामले के अध्ययन के लिए परियोजना या उपक्रम का दौरा करती है। संबंधित मंत्रालय/उपक्रम से दौरा किए जाने वाले उपक्रमों/कार्यालयों आदि के संबंध में टिप्पण पहले से मंगवा लिए जाते हैं और समिति के सदस्यों को परिचालित कर दिये जाते हैं। समिति द्वारा परियोजना इत्यादि पर औपचारिक चर्चा के लिए यह प्रारंभिक चरण है। जब समिति/अध्ययन दल अध्ययन दौरे पर होते हैं तो, दौरे के स्थान पर केवल अनौपचारिक बैठकें होती हैं और ऐसी बैठकों का न ही कोई साक्ष्य रिकार्ड किया जाता है और न ही कोई निर्णय लिया जाता है। समिति के सदस्य दौरे के दौरान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गैर-सरकारी संगठनों और निकायों के प्रतिनिधियों, जो समिति के जांचाधीन विषय से संबंध रखते हो, से अनौपचारिक रूप से मिल सकते हैं। बाद में, समिति की इन अनौपचारिक चर्चाओं और ज्ञापन और अन्य प्राप्त जानकारी के अवलोक में, संसद भवन/संसदीय सौध में होने वाली समिति की औपचारिक बैठक में साक्ष्य देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी साक्षियों को आमंत्रित किया जाता है । उपक्रमों/मंत्रालयों/विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, मज़दूर संगठनों इत्यादि के प्रतिनिधियों के साथ समिति की बैठक में हुई चर्चा को गोपनीय माना जाता है और जिस किसी के भी पास प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा का अभिगमन हो, उसे चर्चा के दौरान लिए गए मामलों की जानकारी प्रेस या किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें उसके प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट की जाती हैं, जो संसद में प्रस्तुत की जाती है। सभा में प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, मंत्रालय/उपक्रम द्वारा प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों और निष्कर्षों पर कार्रवाई करना अपेक्षित होता है। की गई कार्रवाई संबंधी उप-समिति या समिति द्वारा सरकार के उत्तरों की जांच की जाती है और सभा में की गई कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है

उपलब्धियां

समिति ने स्थापना के बाद से आज की तिथि तक 680 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। इनमें 310 मूल प्रतिवेदन है, 316 समिति के मूल प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई प्रतिवेदन है और 54 अध्ययन दौरे के प्रतिवेदन हैं। 310 मूल प्रतिवेदनों में से, 38 सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर समस्तरीय अध्ययन का प्रकृति के हैं।

स्थापना के बाद से सरकारी उपक्रमों संबंधी उपक्रमों संबंधी समिति का कार्यकाल और इसके सभापति को दर्शाने वाली सूची

समिति की संख्या	समिति का कार्यकाल	गठन की तिथि	भंग करने की तिथि	समिति के सभापति
तीसरी लोक सभा (02.04.1962 से 03.03.1967)				
पहली	1964-1967	मई 1964	3 मार्च, 1967	श्री पी. गोविन्द मेनन 1964-65, 1965-66 (24.01.66 तक) और पंडित डी.एन. तिवारी 1965-66 (24.01.66 से प्रभावी), 1965-66, 1967-68 (25.09.67 तक)
चौथी लोक सभा (04.03.1967 से 27.12.1970)				
दूसरी	1967-1968	7 अप्रैल, 1967	30 अप्रैल, 1968 तक बढ़ाई गई	पंडित डी.एन. तिवारी 1967-68 (25.09.67 तक), श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी 1967-68 (25.09.67 से प्रभावी)
तीसरी	1968-1969	10 मई, 1968	30 अप्रैल, 1969	डा. जी.एस. ढिल्लों 1968-69; 1969-70 (08.08.69 तक) और श्री एम.बी.राणा 1969-70 (10.12.69 से प्रभावी)
चौथी	1969-1970	16 मई, 1969	30 अप्रैल, 1970	
पांचवीं	1970-1971	मई, 1970	27 दिसम्बर, 1970	श्री एम.बी.राणा 1970-71
पांचवीं लोक सभा (15.03.1971 से 18.01.1977)				
छठी	1971-1972	21 जून, 1971	30 अप्रैल 1972	श्री एम.बी. राणा, 1971-72
7वीं	1972-1973	26 मई, 1972	30 अप्रैल 1973	श्रीमती सभुद्रा जोशी 1972-73 (22.04.73 तक) और श्री अमृत नहाटा 1972-73 (23.04.73 से प्रभावी)
8वीं	1973-1974	14 मई, 1973	30 अप्रैल 1974	श्री नवल किशोर शर्मा 1973-74 (11.07.73 तक) और श्रीमती सभुद्रा जोशी 1973-74(12.07.73 से प्रभावी)
9वीं	1974-1975	9 मई, 1974	30 अप्रैल 1975	श्री नवल किशोर शर्मा 1974-75, 1975-76
10वीं	1975-1976	8 मई, 1975	30 अप्रैल 1976	

11वीं	1976-1977	मई, 1976	18 जनवरी 1977	श्री दरबारा सिंह 1976-77
छठी लोक सभा (23.03.1977 से 22.08.1979)				
12वीं	1977-1978	1 अगस्त 1977	30 अप्रैल, 1979	श्री ज्योतिमोय बसु 1977-78, 1978-79
13वीं	1978-1979	12 मई, 1978	30 अप्रैल, 1979	
14वीं	1979-1980	17 मई, 1979	27 अगस्त, 1979	डा. बापू कालदाते 1979-80
सातवीं लोक सभा (18.01.1980 से 31.12.1984)				
15वीं	1980-1981	12 अगस्त, 1980	30 अप्रैल, 1981	श्री बंसी लाल, 1980-81, 1981-82
16वीं	1981-1982	15 जून, 1981	30 अप्रैल, 1982	
17वीं	1982-1983	31 मई, 1982	30 अप्रैल, 1983	श्री मधुसूदन विराले 1982-83, 1983-84, 1984-85
18वीं	1983-1984	7 मई, 1983	30 अप्रैल, 1984	
19वीं	1984-1985	7 मई, 1984	31 दिसम्बर, 1984	
आठवीं लोक सभा (31.12.1984 से 27.11.1989)				
20वीं	1985-1986	21 मई, 1985	30 अप्रैल, 1986	श्री के. रामामूर्ति 1985-86, 1986-87
21वीं	1986-1987	16 मई, 1986	30 अप्रैल, 1987	
22वीं	1987-1988	27 मई, 1987	30 अप्रैल, 1988	श्री वाक्कोम पुरूषोत्तम 1987-88, 1988-89, 1989-90
23वीं	1988-1989	13 मई, 1988	30 अप्रैल, 1989	
24वीं	1989-1990	08 मई, 1989	27 नवम्बर, 1989	
नौंवी लोक सभा (02.12.1989 से 13.03.1991)				
25वीं	1990-1991	18 मई, 1990	13 मार्च, 1991	श्री बसुदेब आचार्य 1990-91
दसवीं लोक सभा (20.06.1991 से 10.05.1996)				
26वीं	1991-1992	18 सितम्बर, 1991	30 अप्रैल,1992	श्री ए.आर. ऐन्तुले 1991-92, 1992-93
27वीं	1992-1993	15 मई, 1992	30 अप्रैल,1993	
28वीं	1993-1994	31 मई, 1993	30 अप्रैल,1994	श्री विलास मुत्तेमवार 1993-94, 1994-95
29वीं	1994-1995	11 मई, 1994	30 अप्रैल,1995	
30वीं	1995-1996	03 मई, 1995	30 अप्रैल,1996	स्क्वेडन लीडर कमल चौधरी 1995-96
ग्याहरवीं लोक सभा (15.05.1996 से 04.012.1997)				
31वीं	1996-1997	13 सितम्बर, 1996	30 अप्रैल, 1997	श्री जी. वेंकटास्वामी 1996-97, 1997-98
32वीं	1997-1998	5 मई, 1997	4 दिसम्बर, 1997	
बारहवीं लोक सभा (10.03.1998 से 26.04.1999)				
33वीं	1998-1999	6 अगस्त, 1998	26 अप्रैल, 1999	श्री मानबेन्द्र शाह, 1998-99
तेरहवीं लोक सभा (10.10.1999 से 06.02.2004)				
34वीं	1999-2000	24 दिसम्बर, 1999	30 अप्रैल, 2000	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा 1999-2000; 2000-01; 2001-02; 2002-03; 2003-
35वीं	2000-2001	4 मई, 2000	30 अप्रैल, 2001	
36वीं	2001-2002	1 मई, 2001	30 अप्रैल, 2002	

37वीं	2002-2003	1 मई, 2002	30 अप्रैल, 2003	04 (06.02.04 तक)
38वीं	2003-2004	1 मई, 2003	06 फरवरी, 2004	
चौदहवीं लोक सभा (17.05.2004 से 18.05.2009)				
39वीं	2004-2005	26 अगस्त, 2004	30 अप्रैल, 2005	श्री रुपचन्द पाल 2004-05; 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09 (30.04.2009 तक)
40वीं	2005-2006	1 मई, 2005	30 अप्रैल, 2006	
41वीं	2006-2007	1 मई, 2006	30 अप्रैल, 2007	
42वीं	2007-2008	1 मई, 2007	30 अप्रैल, 2008	
43वीं	2008-2009	1 मई, 2008	30 अप्रैल, 2009	
पंद्रहवीं लोक सभा (18.05.2009 से 18.05.2014)				
44वीं	2009-2010	6 अगस्त, 2009	30 अप्रैल, 2010	श्री वी. किशोर चन्द्र देव 2009-10; 2010-11, 2011-12 (12.07.2011 तक)
45वीं	2010-2011	5 मई, 2010	30 अप्रैल, 2011	
46वीं	2011-2012	30 अप्रैल, 2011	12 जुलाई, 2011	
47वीं	2012-2013	22 मई, 2013	30 अप्रैल, 2013	
48वीं	2013-2014	24 मई, 2013	30 अप्रैल, 2014	श्री जगदम्बिका पाल 2011-12 (29.09.2011 से प्रभावी), 2012-13, 2013-14 (15.03.2014 तक)
सोलहवीं लोक सभा (18.05.2014 से 25.05.2019)				
49वीं	2014-2015	14 अगस्त, 2014	30 अप्रैल, 2015	श्री शांता कुमार 2014-2015 (14.08.2014 से प्रभावी) 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 (30.04.2019 तक)
50वीं	2015-2016	1 मई, 2015	30 अप्रैल, 2016	
51वीं	2016-2017	1 मई, 2016	30 अप्रैल, 2017	
52वीं	2017-2018	1 मई, 2017	30 अप्रैल, 2018	
53वीं	2018-2019	1 मई, 2018	30 अप्रैल, 2019	
सत्रहवीं लोक सभा (25.05.2019 से)				
54वीं	2019-2020	24 जुलाई, 2019	30 अप्रैल, 2020	श्रीमती मीनाक्षी लेखी 2019-20 (24.07.2019 से प्रभावी), 2020-21, 2021-22 श्री संतोष कुमार गंगवार (13.08.2021 से प्रभावी), 2022-23 (आज की तिथि तक)
55वीं	2020-2021	1 मई, 2020	30 अप्रैल, 2021	
56वीं	2021-2022	1 मई, 2021	30 अप्रैल, 2022	
57वीं	2022-2023	1 मई, 2022	आज की तिथि तक	